	<p style="text-align: center;"><b>कृषि महाविद्यालय</b> (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) कोटपूतली-303107 जिला : कोटपूतली -बहरोड (राजस्थान)</p>	<p>Mob.No. 9602749904 <a href="mailto:dean.coakotputli@sknau.ac.in">dean.coakotputli@sknau.ac.in</a></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. F.03( )/Farm/COA/KTP/2026/370


Date: 02.07.2026

### हिस्सा आधारित खेती का कार्य आदेश

कृषि महाविद्यालय, कोटपूतली के फार्म पर विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन हेतु हिस्सा आधारित खेती के लिए खरीफ 2026 व रबी 2026-27 का TAP समिति की सिफारिश के आधार पर **M/s. सुनिल यादव** की दरों पर कार्य के लिए खुली निविदा सूचना क्रमांक: एफ./फार्म/कृ.म.वि./के.टी.पी./2026/322 दिनांक: 20.06.2026 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार रबी 2026-27 तक कार्यदेश दिया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	हिस्सा आधारित खेती के उत्पादन में ठेकेदार/ निविदादाता का चारा/ भूसा का हिस्सा (प्रतिशत)	हिस्सा आधारित खेती के उत्पादन में ठेकेदार/ निविदादाता को जाने वाला दाने का हिस्सा (प्रतिशत)	खेती के उत्पादन में महाविद्यालय को जाने वाला दाने का हिस्सा (प्रतिशत)
1	दाना/बीज उपज	100 प्रतिशत निविदादाता का ही होगा।	36%	64%
2	दाना/बीज उपज	100 प्रतिशत निविदादाता का ही होगा।	36%	64%

निविदादाता को हिस्सा आधारित खेती की समस्त शर्तें मानने का 100रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाप 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

  
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान् कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान् कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. श्री सुनिल यादव, पाथरेडी, कोटपूतली।
5. लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, कोटपूतली।
6. रक्षित पत्रावली।

  
अधिष्ठाता